न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 120/2017
जीसीएमएस : 2017/00809

1. अनुज पुत्र श्री कुमार जाति बिश्नोई निवासी 14 एसएडी तहसील रायसिंहनगर नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन पत्नी श्री कुमार जाति बिश्नोई निवासी 14 एसएडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—: प्रार्थी

बनाम

1. मनफूल पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 14 एसएडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री सतपाल बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री राजाराम धारणियां, अप्रार्थी सं. 1

—: निर्णय :–

दिनांक : 01.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा मनफूल पुत्र रामलाल के नाम से चक 14 एसएडी के खाता सं. 21 के मु.नं. 30 प.नं. 196/345 के कि.नं. 13 की 0.139, 14 ता 18 की 1.265है., 19/2 की 0.241है., 20/2 की 0.228है., 21/2 की 0.227है., 22 ता 25 की 1.012है.कुल 3.112है. नहरी खातेदारी भूमि दर्ज हैं। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता रामलाल से प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त कृषि भूमि जद्दी जायदाद है व पीछे से चली आ रही हैं। प्रार्थी को 0.778 हिस्सा घरू बंटवारा में प्राप्त हैं। जिस पर प्रार्थी कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थी उक्त भूमि को अन्य को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित कर देते हैं तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। उक्त सम्पति में प्रार्थी का हिस्सा व विधिक अधिकार निहित हैं। प्रार्थी ने अपने हिस्सा की भूमि पर फसल बिजान की हुई हैं। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की उक्त भूमि को विक्रय करने की फिराक में हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी को ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थी सं. 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि वह अतिशीघ्र ही विवादित रकबा से प्रार्थी को अपने हिस्सा से वंचित करते हुए किसी अन्य को बैयनामा तस्दीक करवा देगा या किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर देगा। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखारमत हैं। यदि अप्रार्थी सं. 1 भूमि बेचान कर देता हैं तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। मुकदमाबाजी बढेगी। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा कि वे विवादित भूमि में से प्रार्थी के हिस्सा की 0.778 है. नहरी भूमि किसी प्रकार से रहन, बैय, अन्तरण करने से बाज व ममनू रहे मौका कि स्थिति यथावत रखी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन करने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध जवाब अप्रार्थी प्रस्तुत होने तक विवादित भूमि में से प्रार्थी के हिस्स की भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने की एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.11.2017 को पारित की गयी। अप्रार्थी सं. 1 [illegible] निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से चक 14 एसएडी प.नं. 196/345 मु.नं. 30 [illegible] नहरी भूमि नहीं हैं बल्कि चक 14 एसएडी के खाता सं. 22 प.नं. 196 [illegible] सय खाला भूमि हैं। उक्त भूमि जदीजायदाद नहीं हैं तथा ना [illegible] हैं। बल्कि जरिये रजि.. तमलीकनामा दिनांक 03.06.1972 [illegible] को प्राप्त हुई हैं। यदि [illegible] से विरास्तन भूमि आती तो भूमि रामलाल के जायज वा[illegible] शंकरलाल, काशीराम, [illegible]लाल, भजनलाल, मनफूल, तुलछा, श्योपारी, रामप्यारी व गोमती को प्राप्त होती तथा अप्रार्थी [illegible] 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज होती। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के दो लडके सेठकुमार व श्रीकुमार(मृतक) तथा दो लडकिया सुगना व लिछमा हैं। तथा श्रीकुमार की विधवा सुमन व लडकी समीक्षा व लडका अनुज है तथा चक 11 एसएडी के मु.नं. 186/349 की 9 बीघा कमाण्ड भूमि अप्रार्थी द्वारा अपने लडके

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.25 16:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि
रायसिंहनगर

श्रीकुमार के नाम से करवाई हुई हैं। विवादित भूमि में प्रार्थी का कोई हिस्सा व हक नहीं है। तथ न ही किसी घरू बंटवारा में प्रार्थी को 0.778है भूमि दी हुई हैं। विवादित भूमि जदीजायदाद नहीं हैं। न ही किसी प्रकार का कोई नुकसान प्रार्थी को हाने वाला हैं। अप्रार्थी के नाम से केवल 1.265है. रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं जो अप्रार्थी को विरास्त प्राप्त नहीं हुआ हैं। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हैं। वा वादी प्रथम दृष्टया ही नाकाबिल चलने के हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता रामलाल से प्राप्त हुई हैं। उक्त भूमि पैतृक सम्पति हैं। जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/2 हिस्सा में से प्रार्थी का 0.778 हिस्सा घरू बंटवारा में प्राप्त हैं। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की उक्त भूमि को विक्रय कर प्रार्थी को उसके हिस्से के भूमि से वंचित करना चाहता हैं। यदि अप्रार्थी इसमें कामयाब हो जाता हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति हैं अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हैं। तथा घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर प्रार्थी की फसल काश्त की हुई हैं इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी के कथनों को नकारते हुए निवेदन किया कि विवातिद भूमि जदीजायदाद नहीं हैं तथा ना ही अप्रार्थी को विरास्तन प्राप्त हुई हैं। बल्कि जरिये रजि. तमलीकनामा दिनांक 03.06.1972 को विवादित भूमि में से अप्रार्थी को प्राप्त 1.265है. प्राप्त हुई हैं। यदि भूमि अप्रार्थी को जरिए विरास्तन प्राप्त होती तो अप्रार्थी को रामलाल के वारिसान कुल 9 के हिसाब से 1/9 हिस्सा प्राप्त होती। अतः भूमि जदी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रति चक 14 एसएडी संवत 2069–2072 खाता सं. 21 की मु.नं. 30 की कुल 6.199है. कमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/2 हिस्सा मनफूल वल्द रामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रा. पत्र में स्वीकार किया हैं कि उनके पुत्र श्रीकुमार की मृत्यु हो चुकी हैं। जिनका पुत्र अनुज कुमार हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। यदि प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जाती हैं तो भूमि के विक्रय/दान आदि होने से मुकदमे बाजी बढने की संभावना हैं। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना संभावित हैं। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2017 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.25 16:30:45 IST
Reason: SelfAttested